

15/4/24

दिनांक 29/4/24

29/4/24

पत्रावली पेश हुई कमील गर्धी अनुपस्थित
 वादी का वद 9 R 3 जाही में खारिज
 किया जा चुका है इसलिए अब न-2
 प्रां पत्र का कोई औचित्य शेष
 नहीं रह जाता है इसलिए वादी का
 प्रां पत्र 9 R 3 जाही में खारिज
 किया जाता है पत्रावली फौजदारी
 नुमा होकर दर्ज नम्बर से क्रम
 से। आदेश खुले न्यायालय में
 सुनाया गया

उपरवण्ड अधिकारी
 साँभर लेख

